न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर

सरकार बनाम 1–दुर्गाप्रसाद पुत्र मुरलीधर जाति अग्रवाल साकिन 3

बी सुखाडियानगर श्रीगंगानगर

2–श्रीहनी शर्मा पुत्र श्री पवनकुमार जाति ब्राहमण

साकिन पदमपुर

मु0माल स0 358 सन 2012

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत

रिसीवरबाबत

22–11–2012

आज यह पत्रावली पेश हुई। पेरोकार राज उपस्थित। पैरोकार राज ने उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थीगण के विरुद्व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया हैं उसी के साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विवादास्पद भूमि बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्यो के लिए उपयोग किया जा रहा हैं उक्त आराजी का बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्यो में उपयोग किया जा रहा है।जो कानून की अवहेलना हैं उक्त आराजी का कब्जा वहक सरकर लिया जाकर दौरान ए दावा विवादास्पद भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव पेरोकार राज को सुना गया। विवादास्पद भूमि चक 6 जेड ए के मु0न0 43 कि0न0 1 में 0.228,2में .0.253, 3में 0.101,9 में 0.253,10 में 0.227,11 में 0.228,12 में 0.253,13 में 0.101,18 में 0.101,19 में 0.253,20 में 0.228,21 में 0.228,23 में 0.101 कुल 2.656 हैक्टयर नहरी भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये/बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि कार्यो में उपयोग की जा रही हैं अप्रार्थीगण मौके की स्थिति में परिवर्तन करने को उतारु है। अतः उक्त विवादास्पद भूमि पर तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर को रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवादास्पद भूमि पर तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि विवादास्पद भूमि का कब्जा हैसियत रिसीवर लिया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये प्रतिलिपि तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे

अप्रार्थी/अप्रार्थीयान को सीपीसी के आदेश 39 रुल्स 3के अन्तर्गत सुना जाना अतिआवश्यक है। अतः जरिऐं रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे कि उसे इस आदेश के प्रति कोई आपति हो तो वह इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर बजह जाहिर करें कि क्यों न इस आदेश को ताफैसला मूल वाद स्थायी कर दिया जावे। पत्रावली आईन्दा तारीख २५/१२/१२ को पेश हो

आदेश सुनाया गया।

TDR.1564 27/11/12

(प्रकाश राजपुरोहित)

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)

श्रीगंगानगर

न्यायालय मूलवाद में ... [illegible]

... मूलवाद ... [illegible]

[illegible]